



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 08, 1940

No. 515]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/ SHRAVANA 08, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 712(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क विभाग, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह 'ग') पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2015, अनुसूची में, स्तंभ (6) में, हवलदार के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, —

टिप्पण की प्रविष्टि के स्थान पर "आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. ए-12018/06/2010-प्रशा.-III ख]

बी. के. मंथन, अवर सचिव

टिप्पणी:

मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. संख्या 233(अ) द्वारा तारीख 30 मार्च, 2015 को प्रकाशित हुए थे, मूल नियमों का शुद्धि पत्र सा.का.नि. संख्या 288(अ), द्वारा तारीख 10 मार्च, 2016 को प्रकाशित हुआ था और मूल नियमों में संशोधन सा.का.नि. संख्या 38(अ), द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2017 को प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2018

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Excise and Customs Department, Havaldar and Head Havaldar (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules shall be called the Central Indirect Taxes and Customs Department, Havaldar and Head Havaldar (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Excise and Customs Department, Havaldar and Head Havaldar (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015, in the Schedule, against serial number 1 relating to the post of Havaldar, in column (6), -

for the entry in Note 1, the entry "The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission" shall be substituted.

[F. No. A-12018/06/2010-Ad.III-B]

B. K. MANTHAN, Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 233 (E), dated the 30th March, 2015, corrigendum to principal rules was published vide number G.S.R. 288 (E), dated the 10th March, 2016 and amendment in principal rules was published vide number G.S.R. 38 (E), dated the 17th January, 2017.